

परियोजना का नाम :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड, पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु <sup>1.89 हे०</sup> वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर

संख्या-

/

दिनांक:

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर-वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15/11/17 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे।

| क्र० सं० | भूमि की श्रेणी | वन ब्लाक / कम्पार्टमेंट खसरा संख्या | प्रजाति | वैज्ञानिक नाम                                                    | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |       |            | योग |
|----------|----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|          |                |                                     |         |                                                                  | 0-10       | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक |     |
| 1        | सिविल वन भूमि  |                                     | बांज    | Quercus leucotrichophora Camus ex Bahadur (Syn. Q. incana Roxb.) | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   |
|          |                | योग                                 |         |                                                                  | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग  
गोपेश्वर।